राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–38 / 2025 दायर दिनांक :–17.02.2025
जीसीएमएस नं.–2025 / 209 निर्णय दिनांक :–04.02.2026

1. श्री बाबुलाल पिता श्री धुला ननोमा निवासी–गामडी अहाडा तहसील–गामडी अहाडा

प्रार्थी

बनाम

1. बंशी पुत्र हकरा मलवात,
2. श्रीमति शांति पत्नी बंशी मालवत,
   निवासीयान–गामडी अहाडा, तहसील गामडी अहाडा, जिला डूंगरपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गामड़ी अहाड़ा, जिला डूंगरपुर

विपक्षीगण

उपस्थिति :–
1. श्री कृष्णराज सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अमृतलाल पंचाल, अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4)
राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 निवासीयान गामडी अहाडा, तहसील गामडी अहाडा, जिला डूंगरपुर को मौजा गामडी अहाडा की आराजी नम्बर 96 में रकबा 0.1600 हैक्टेयर भुमि मिसल नम्बर 2613 / 21 से आवंटित हुयी है। विपक्षीगण को आराजी नम्बर 96 में रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि का आवंटन होने के बाद आवंटीत भुमि का नया खसरा नम्बर 5253 / 5198 रकबा 0. 1600 हैक्टेयर कायम हुआ। उक्त आराजी 5253 / 5198 विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त भुमि पर विपक्षीगण का ना तो पूर्व में कभी कब्जा काश्त रहा है ना ही वर्तमान में उनका कब्जा है। विपक्षीगण के नाम आवंटित भुमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त उसके पिता धुला ननोमा के समय से करीब 70–80 साल से निरंतर आज दिन तक चला आ रहा है। आवंटन हेतु आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र किस उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया इसका अंकन नहीं है। आवेदन पत्र किस दिनांक को किस स्थान पर प्रस्तुत किया यह भी अंकन नहीं है। नियमानुसार आवंटन मजमें आम में किया जाना होता है लेकिन आवेदकगण द्वारा आवेदन किस स्थल पर लगे कैम्प में प्रस्तुत किया यह अंकन ही नहीं है इससे साबित होता है। कि आवेदन चोरी–छिपके प्रस्तुत हुआ है। उक्त आवेदन पत्र में आवेदक विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम लिखे हुऐ है लेकिन जहां आवेदकों के हस्ताक्षर करने होते है वहां केवल एक अंगुठा निशानी है। यह अंगुठा निशानी किसकी है, यह भी अंकन नहीं है। इससे जाहिर है कि दोनो आवेदकगण / विपक्षीगण द्वारा साथ–साथ उपस्थित होकर केम्प में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षीगण भुमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते है। विपक्षीगण के नाम पर तथा उनके खाते में पर्याप्त भूमि स्थित है। फिर भी विपक्षीगण को भुमिहीन कृषक मानकर उन नियमों के तहत् राजकीय कृषि भुमि आवंटीत कर दी गयी जो नियम भुमिहीन काश्तकारों को भुमि आवंटन हेतु बनाये गये है। विपक्षीगण के नाम आवंटित आराजी नम्बर 5253 / 5198 रकबा 0.1600 हैक्टेयर प्रार्थी के खाते की आराजीयात के पास स्थित है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटित आराजी नम्बर 5253 / 5198 रकबा 0.1600 हैक्टेयर पर आवंटन से पूर्व या बाद में विपक्षीगण का कभी कब्जा नही रहा ना ही आवंटन के बाद विपक्षीगण ने कभी काश्त की है। विपक्षीगण ने आवंटन नियमों की आज दिन तक पालना नही की है। आवंटन के बाद विपक्षीगण को आवंटित भूमि का कब्जा भी सुपुर्द नही किया गया है। आवंटन के पश्चात नियम 20 की पालना नही की गयी है। वर्तमान में भी प्रार्थी उक्त तथाकथित आवंटित की गयी भूमि पर काबिज है। यह आश्चर्यनजक है कि निर्णय आवंटन भूमि सलाहकार समिति के आदेश में ना तो मिसल नम्बर लिखा है, ना दायर दिनांक लिखी है तथा ना ही केम्प का स्थान लिखा है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त आवंटन मात्र कागजी होकर औपचारीक है। विपक्षीगण को तथाकथित आंवटीत भुमि जिसका वर्तमान खसरा संख्या 5253 / 5198 है इस पर प्रार्थी अपने परिवार के साथ खेती करता है तथा उक्त आराजी में प्रार्थी गेंहू तथा चना की खेती करता है तथा उपज प्राप्त करता है। उक्त आराजी में प्रार्थी का मकान भी बना हुआ है जिससे वह परिवार सहित निवास करता है। उक्त आराजी में प्रार्थी का बोरवेल खुदा हुआ है तथा श्री फेज विद्युत कनेक्शन कृषि उपयोग हेतु प्रार्थी

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

के नाम से ले रखा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ, लाईट बिल आदी दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी उक्त भुमि पर काबिज है। इस प्रकार उक्त भुमि Unoccupied भुमि की श्रेणी में नहीं आती है जो आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। आवंटन से पूर्व किन–किन भुमियों का आवंटन किया जायेगा इस बाबत् उदघोषणा की जानी आवश्यक है तथा उद्घोषणा का प्रकाशन दृश्यमान स्थलो पर किया जाना था परन्तु आवंटन से पूर्व उक्त खसरा संख्या 96 के संबंध में किसी प्रकार की उद्घोषणा नहीं की गयी। यदि उद्घोषणा की गयी होती तो प्रार्थी जो कि तथाकथित आवंटित भुमि पर अपने पिता के जीवनकाल से 70–80 वर्षो से काबिज है, उसके द्वारा भी आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता। विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा भुमि आवंटन नियमों की पालना नहीं की गयी है। उक्त कागजी तौर पर किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण को वर्तमान में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं हुए है ऐसी स्थिति में मौका निरीक्षण हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किये जावे तथा इस बाबत् प्रार्थी द्वारा दौराने विचारण पृथक से प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा। विपक्षीगण ने Fraud व Misrepresentation के जरीये भुमि का आवंटन करा लिया है जो निरस्त/खारीज किये जाने योग्य है। आवंटी भुमिहीन कृषक नहीं है उसके खाते में मौजा गामडी अहाडा में कृषि भुमि स्थित है। उक्त खसरा संख्या 96 में विपक्षी संख्या 1 व 2 के साथ–साथ विपक्षी संख्या 1 के भाई बसु उसकी पत्नि मंजुला, विपक्षी संख्या 1 के अन्य भाई बाबुलाल एवं उसकी पत्नि शांता को भी आवंटन कर दिया गया है। तीनों भाईयो को खसरा संख्या 96 में 0.1600 हैक्टेयर, 0.1600 हैक्टेयर एवं 0.1600 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है जबकि आवंटीयों का उक्त आराजी खसरा संख्या 96 पर कभी कब्जा काश्त रहा ही नहीं है ना ही वर्तमान में उनका कब्जा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन मिसल नम्बर 2613/21 जिसके जरिये मौजा गामडी अहाडा का खसरा संख्या 5253/5198 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कृषि भुमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटित होकर उनके नाम गैर खातेदारी दर्ज है, उक्त आवंटन को निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत् प्रस्तुत की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस जवाव देही तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा के प्रस्तुत जवाब में विपक्षीगण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष मजमा–ए–आम में विधि अनुसार आवंटन किया गया है। आवंटन नियमानुसार विधि सम्मत एवं आवंटन की सभी शर्तो का पालन करके किया गया है। उक्त आवंटन शुदा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही रहा है। बल्कि विपक्षीगण आज भी उस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते हुए आवंटन की सभी शर्तो को पालन कर रहे है। विपक्षीगण ने काफी वृक्षारोपण भी किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार के प्रस्तुत जवाब में प्रतिवादी बशी पिता हकरा के नाम उपरोक्त भूमि के अलावा मौजा गामडी अहाडा के खाता क्रमाक 692 खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.32 हैक्टयर हिस्सा 1/4 है जो कि पैतृक भूमि हकरा पिता काला फौत होने से विरासती इन्तकाल 23/62 दिनांक 25.02.2024 को रेकार्ड दर्ज हुई है। प्रतिवादी बंशी पिता हकरा के नाम आवंटित भूमि खसरा नम्बर 5253/5198 के पास में ही परिवादी बाबुलाल पिता धुला के नाम रेकार्ड दर्ज भूमि है। विपक्षी के नाम आविटत भूमि खसरा नम्बर 5253/5198 पर आंवटन के बाद लगातार कब्जा व बाडा है। तथा मौके पर बाडा होने से आवटन नियमों की पालना हो गई है। प्रार्थीगण का विप्रार्थीगण को आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने पर स्वीकार योग्य है।

उभयपक्षो की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण भूमि हिन कृषक नही है उसके खाते में मौजा गामडी अहाडा में कृषि भूमि स्थित है। जिसे भूमिधारी तहसीलदार के जवाब से भी इसकी पुष्टि होती है। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब को दौहराते हुए विपक्षीगण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष विधि अनुसार आवंटन किया गया है। आवंटन नियमानुसार विधि सम्मत एवं आवंटन की सभी शर्तो का पालन किया गया है। उक्त आवंटन शुदा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, अभिलेखों के अवलोकन एवं उपलब्ध तथ्यों तथां तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत यह स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण के नाम आवंटित भूमि खसरा नं. 5253/5198 पर आवंटन के पश्चात से उनका निरंतर कब्जा है तथा आवंटन नियमों का विधिवत पालना किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा मिसल नम्बर 2613/21 जिसके जरिये मौजा गामडी अहाडा का खसरा संख्या 5253/5198 रकबा 0.1600 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटित कृषि भूमि के आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थी द्वारा आवश्यक विधिक आधार एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। फलस्वरूप प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)